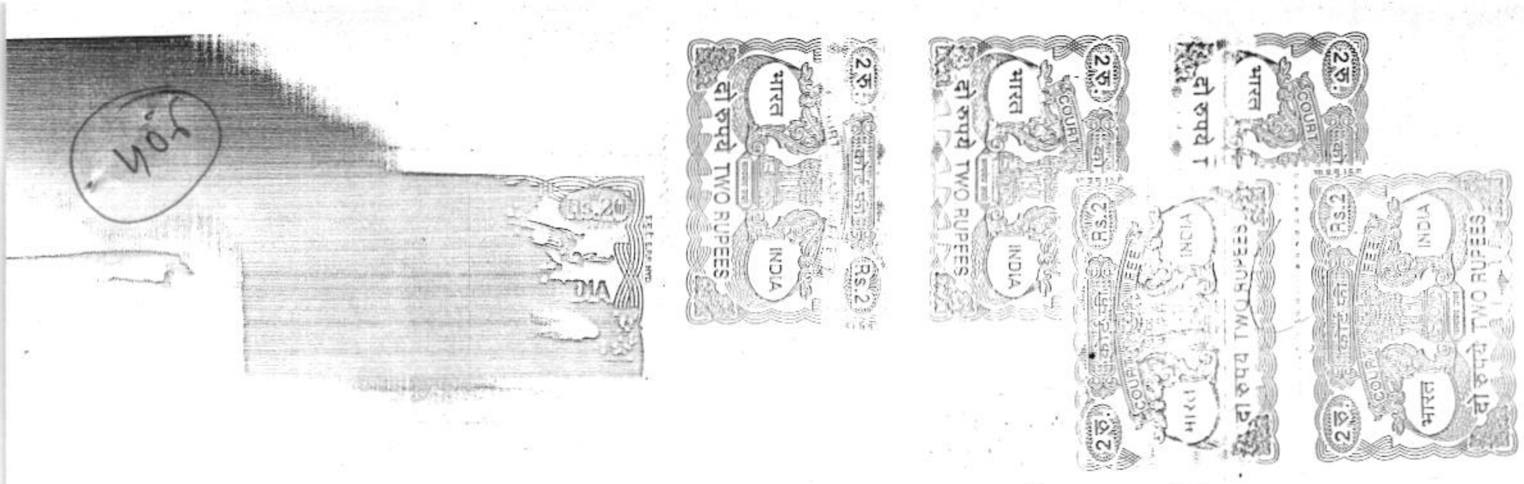

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/2099

1 दशरथ पुत्र श्री मन्नी अहिरवार
2 मन्नी पुत्र श्री जगन्नाथ अहिरवार
निवासीगण– रेखा तहसील लवकुशनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

...........आवेदकगण

विरूद्ध

1 सूरी बेवा स्व. घसीटा अहिरवार
2 दयाराम पुत्र स्व. घसीटा अहिरवार
निवासीगण– रेखा तहसील लवकुशनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

श्री ... चतुर्वेदी अधि. आज दिनांक 31.3.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 4.4.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. 31.3.18

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.03.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

31.3.18

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, मौजा पीरा में स्थित भूमि सर्वे नं. 1776 रकवा 0.825 है0 आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत पीरा द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 02 में पारित आदेश 23.07.2001 से नामान्तरण पंजी क्रमांक 17 में विधिवत् रूप से आवेदकगण के हित में आदेश पारित किया गया था।

2. यहकि, उपरोक्त आदेश पारित होने के 15 वर्ष पश्चात् अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 31/2015–16 प्रस्तुत की गयी थी जोकि स्पष्टतः अत्यधिक अवधि बाह्य थी ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से परिसीमा अधिनियम के आवेदन पत्र का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2099

दशरथ विरूद्ध सूरी बेवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 31/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 28-03-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 18/03/19 (आर.के. जैन) सदस्य	